

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी**

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:-अटल सेवा केन्द्र, सणपा मानजी

प्रकरण सं.:- 25/2018

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1060

दिनांक:- 7.5.18

**आदेश**

वादी के वाद पत्र एवं पटवारी सणपामानजी व मूअ.नि. होडू की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम नया खरंटिया/खरंटिया तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2072-2075 में खाता संख्या में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर *	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	नया खरंटिया	22	128	चेनाराम वल्द	चैनाराम वल्द
2	खरंटिया	22	191,192,443/195	वालाराम	वागाराम <u>शेष बदुस्तर</u>




उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी  
दिनांक:- 7.5.18



क्रमांक:- लो.अदा./2018/1061-1063

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री चैनाराम वल्द वागाराम जाति मेगवाल निवासी नया खरंटिया तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी